21/11/17

अधिवक्ता पक्ष उपस्थित

8/2/18 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर नोटिस तामील पेश किये वाद पत्र प्रति की पत्रावली दिनांक 26/4/18 को पेश हो।

26/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। पूर्वानुसार पत्रावली कोर्ट कैम्प गढवाड़ी में दिनांक - 01/06/18 को पेश हो।

1/6/18 पत्रावली आज दिनांक को कोर्ट कैम्प आपके हार गढवाड़ी में पेश हुई उभय पक्षों की सुनवाई की गई हालांकि नहीं किये लोक अदालत की भावना से सुनवाई के उपरान्त CPC की धारा 89, 108 के तहत उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे अपनी-अपनी ही भूमियों पर रहो एक-दूसरे की भूमि में

फर्द अहकाम

नानचन्द बनाम गोकुल

191/16

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

कतई न करे ना ही किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करें तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ के निर्देश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम रतनपुरा-हरिपुरा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के खसरा 431, 432 की पूर्वी दिशा की सीमाओं का सीमाज्ञान कर सीमाचिह्न अंकित करना सुनिश्चित करे

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पार्टी दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक को मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़